

**फर्द अहकाम**

(नियम-13)

(General Rule (Civil), Rule 103, Appendix 'B' Form No.91)



अज अदालत- ..... सहायक कलक्टर ..... मुकाम- ..... डीडवाना .....

प्रार्थी:- सुरजाराम पुत्र रामुराम जाति जाट निवासी नेतड़ो की ढाणी ललासरी, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान वगैरह।

बनाम्

अप्रार्थीगण:- छीगनाराम पुत्र रामुराम जाति जाट निवासी नेतड़ो की ढाणी ललासरी, तहसील-डीडवाना जिला-नागौर, राजस्थान, वगैरह।

किस्म मुकदमा- राजस्व प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act. संख्या...197...सन्-.....2021..

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए।
2.2021	<p>प्रार्थी सुरजाराम पुत्र रामुराम जाति जाट निवासी नेतड़ो की ढाणी ललासरी, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान वगैरह ने यह प्रार्थना-पत्र विरुद्ध अप्रार्थीगण छीगनाराम पुत्र रामुराम जाति जाट निवासी नेतड़ो की ढाणी ललासरी, तहसील-डीडवाना जिला-नागौर, राजस्थान, वगैरह ने पेश किया। प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>वकील प्रार्थी को सुना गया। रेकॉर्ड का अवलोकन किया। अतः अधिवक्ता मो० रफीक को मौका कमिश्नर नियुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि वे वाके सरहद नेतड़ो की ढाणी ललासरी के खेत खसरा सं० 376 की मौका रिपोर्ट मय विडियों ग्राफी, फोटो ग्राफ सहित पेश करें। मौका कमिश्नर फीस 1000रु प्रार्थी पक्ष वहन करेगा।</p> <p>अप्रार्थीगण जरिये सम्मन तलब होकर पत्रावली दिनांक 30.12.2021 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>30/12/21</p> <p>पत्रावली पेश हुई। श्रीमान् ए.ओ. सा. अवकाश, अन्य कार्य निरीरे पर पधारें हैं, मिसल दिनांक 19/1/22 को पेश हो।</p> <p>मौका रिपोर्ट जाय 2</p> <p>19/1/22</p> <p>पत्रावली पेश हुई। वर संघ ने अदालती कार्य स्थगित रखा है, मिसल दिनांक 10/2/22 को पेश हो।</p>	<p>Noted by  19/1/21</p>

हुक्म

हुक्म या कार्यावाही मल इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस हुक्म  
की तामील में जारी हुए

13/10/25

पत्रावली पेश हुई। श्री मल P.O. स  
अवकाश/अन्य कार्य/दौरे पर फलारे है।  
मिसल दिनांक 27/2/26 को पेश हो

27/2/26

पत्रावली पेश हुई।  
बार सच डीउबाना ने न्यायिक कार्य स्थगित रखे है  
पत्रावली दिनांक 20/4/26 को पेश हो।

राजे

20.4.26

पत्रावली पेश हुई। वकील पार्थीगण 34।  
पार्थीगण व वकील पार्थीगण को उभाए अवसर  
दिये जाने के बावजूद अपार्थीगण को सम्पन्न  
तामिली रिपोर्ट उभाए। अपार्थीगण की तामिली  
रिपोर्ट उभाए नहीं होने से पत्रावली में O-9 R-5  
CPC की कार्यावाही कमल में लाई जाती है।  
पत्रावली खारिज की जाती है। पत्रावली फंसल  
सुमार होकर नम्बर से कम हो।

Wks

बपखण्ड अधिकारी  
डीउबाना